राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –2481/2016/भरतपुर

सहायक आयुक्त,
वृत्त ए, भरतपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स टीकाराम इण्डस्ट्रीज,
एफ–23, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भरतपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ..... राजस्व की ओर से

श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से

दिनांक : 11/05/2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 316/सीएसटी/15–16/अ.प्रा./भरतपुर में पारित किये गये आदेशों दिनांक 24.05.2016 के विरूद्ध केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 व सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त वृत्त ए, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधि के लिये वैट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अ0 सं0	असत्यापित "C" Forms की राशि	कर निर्धारण वर्ष एवं आदेश दिनांक	अधिनियम की धारा	कर	ब्याज	शास्ति
2481/2016	10,14,48,925	2007–08 16.01.2015	u/s 9 of CST Act r/w sec. 26, 55 & 61 of RVAT Act	20,28,979	17,44,922	40,57,958

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी फर्म द्वारा वर्ष 2007–08 की अवधि में किये गये अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के संबंध में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र 'सी' के सन्दर्भ में कर निर्धारण अधिकारी सहायक आयुक्त वृत्त A, भरतपुर द्वारा TINXSYS पर जांच करने पर पाया गया कि प्रश्नगत 11 "C" फॉर्म संबंधित क्रेता व्यापारियों द्वारा जारी नहीं किये गये हैं अतः ये घोषणा पत्र बोगस एवं असत्यापित पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन संव्यवहारों की बिक्री राशि पर

निरन्तर.....2

अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण किया एवं साथ ही मिथ्या एवं कूटरचित "सी" फॉर्म प्रस्तुत करते हुए कर का अपवर्जन/अपवंचन करने पर वैट अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत शास्ति आरोपण भी किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गईं, जिसके अपीलीय आदेश दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

5. अपीलार्थी विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि उपायुक्त (अपील्स) ने पूरे प्रकरण को अस्पष्ट निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है जो उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा जानबूझकर असत्य एवं कूटरचित "सी" फार्म विभाग में प्रस्तुत किये थे अतः उसे समुचित रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अन्तर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है, जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकारते हुए कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलीय आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए जो पुनर्निर्धारण के जो निर्देश दिये गये है वह पूर्णतः उचित हैं। अतः उन्होंने विभाग की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षीय बहस पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में प्रस्तुत किये गये 'सी' फार्म्स की जांच अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों की पुष्टि हेतु भारत सरकार द्वारा तैयार TINXSYS PORTAL पर किये जाने पर प्रस्तुत "सी" फॉर्म्स असत्यापित पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्हें मिथ्या व कूटरचित मानते हुए इन बिक्री व्यवहारों के संबंध में अन्तर कर व ब्याज का आरोपण करने के साथ–साथ करवंचना मानते हुए सपठित आरवैट एक्ट की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई है। अपीलीय आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलीय अधिकारी प्रस्तुत अपील में किसी निश्चित अभिमत पर नहीं पहुंचे है तथा एक भ्रामक आदेश पारित करते हुए प्रकरण को

निरन्तर.....3

प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलीय आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर, ब्याज तथा शास्ति को न तो अपास्त किया गया है एवं न ही इसकी पुष्टि की गई है, बल्कि एक अप्रासंगिक बिन्दु–''बिल में दर्शायी गई राशि के अतिरिक्त खर्चे कर निर्धारण हेतु जोड़े जाने'' के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है।

8. इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 16.01.2015 तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.05.2016 के मुख्य अंश उद्धरित किये जाने आवश्यक हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.01.2015 के पृष्ठ 3 (though un-numbered) का उद्धरण :

''व्यवसायी फर्म को प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र सी के विधिक रूप से उचित दस्तावेज होने के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। परन्तु व्यवसायी प्रस्तुत घोषणा पत्रों के उचित दस्तावेज होने के सम्बन्ध में कोई विधिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकें है। अतः व्यवसायी फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार किया जाता है एवं निम्नानुसार केन्द्रीय बिक्री कर की धारा 9 सपठित धारा 26, 55, 61 rvat 2003 के तहत आदेश पारित किया जाता है :–

कुल फर्जी/मिथ्या/बोगस पाये गये घोषणा प्रपत्र सी राशि 10,14,48,925/– पर @2% से सी.एस.टी. 2028979 निर्धारित की जाती है।

उपरोक्त फर्जी/मिथ्या/बोगस घोषणा प्रपत्र करापवंचन की नियत से पेश किये जाने पर निर्धारित कर की दुगुनी शास्ति रूपये 40,57,958/– आरोपित कि जाती है।

उपरोक्त कर राशि पर धारा 55 के तहत ब्याज 17,44,922 आरोपित किया जाता है।

कुल रूपये 78,31,859 का मांग पत्र मय आदेश प्रति व्यवहारी को जारी हो।''

अपीलीय आदेश दिनांक 24.05.2016 के पृष्ठ 3 के अन्तिम पैरा का उद्धरण :

''दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया एवं विद्वान प्रतिनिधि द्वारा उद्धरित माननीय न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान पूर्वक अध्ययन किया एवं अभियोग पत्रावली एवं पारित आदेश के तथ्यों का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर बिल में दर्शाई गई राशि के अतिरिक्त यह खर्चे कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा जोड़े गए है। अतः यह खर्चे कुल रू0 20,28,979/– विक्रय राशि का भाग है अथवा नहीं यह सुनिश्चित किया जा कर देय कर राशि की पुणः गणना नियामानुसार की जा कर कर व ब्याज में संशोधन किए जाने के उपरान्त (यदि आवश्यक हो तो) तद्उपरान्त कर–निर्धारण आदेश पुणः पारित किया जाए। इन निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।''

निरन्तर.....4

9. उपरोक्त उद्धरित दोनों आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा न तो कोई विवेचन किया गया है तथा न ही कोई स्पष्ट अभिमत (finding) दिया गया है। अपीलीय अधिकारी ने विवादित कर की राशि रूपये 20,28,979/– को खर्चे की राशि मानते हुए कि यह विक्रय राशि का भाग है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त आदेश में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जिसका निस्तारण दिनांक 30.08.2016 करते हुए इसे अस्वीकार किया गया है। प्रकरण के तथ्यों पर दृष्टिपात करने के पश्चात अपीलीय आदेश का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा सचेतन मस्तिष्क का उपयोग किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जिसमें अपील की विषय वस्तु से भिन्न बिन्दु पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है तथा कर निर्धारण आदेश में आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति की पुष्टि करने अथवा इसे अपास्त करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत बिन्दुओं का कोई विवेचन भी नहीं किया गया है। अतः अपीलीय आदेश अविधिसम्मत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

10. चूंकि अपीलीय आदेश में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ''सी'' फॉर्म्स बोगस पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति के बिन्दु पर कोई विवेचना किये बिना ही असंबंधित निर्णय दिया गया है, अतः उसे अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर अपील की पुनः सुनवाई कर गुणावगुण पर विधिसम्मत आदेश तीन माह में पारित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

11.05.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य